स्पीड पोस्ट द्वारा

फा.सं. 28(सी)/26/2011-एस.आर.(एस.)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 28 दिसंबर, 2012

2 8 DEC 2012

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार सरकार, पटना-800001।

मुख्य सचिव,
झारखण्ड सरकार, रांची-834001।

विषय: श्री अजय कुमार, मोटर यान निरीक्षक, परिवहन विभाग द्वारा दायर सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 3089/2007 में पारित न्यायादेश दिनांक 13.09.20011 के अनुपालन में अभ्यावेदन पर निर्णय तथा अवमाननावाद क्रमांक 1664/2012 में पारित आदेश दिनांक 25.07.2012 का अनुपालन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निर्देशानुसार मुझे यह कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 3089/2007 में पारित न्यायादेश दिनांक 13.09.2011 के अनुपालन में राज्य परामर्शदातृ समिति, बिहार ने श्री अजय कुमार, मोटर यान निरीक्षक, परिवहन विभाग के अभ्यावेदन पर राज्य पुर्नावंटन के सम्बंध दिनांक 09.07.2012 की बैठक में विचार किया। समिति का निर्णय नीचे दर्शाया गया है:-

" अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के कर्मियों को उनके अधिवासिता (Domicile) के राज्य में अथवा उनके द्वारा समर्पित विकल्प के राज्य में आवंटन किया जाने के संबंध में भारत सरकार के पत्र संख्या-27/26/2006-एस.आर.(एस.) दिनांक 24.06.2010 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के आलोक में श्री अजय कुमार, मोटर यान निरीक्षक के मामले पर विचार किया गया। समिति ने पाया कि श्री कुमार झारखण्ड राज्य के अधिवासी हैं एवं झारखण्ड राज्य विकल्पी हैं और अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। विचारोपरान्त समिति द्वारा इन्हें झारखण्ड राज्य पुर्नावंटन की अनुशंसा की गई।"

2. समिति की अनुशंसाओं को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है, अतः श्री अजय कुमार, मोटर यान निरीक्षक का राज्य पुर्नावंटन बिहार राज्य से झारखण्ड राज्य किया जाता है।

3. इस आदेश के अनुपालन में बिहार सरकार उक्त कर्मचारी के राज्य पुर्नावंटन के आदेश जारी करके भारत सरकार को अवगत कराये। आदेश जारी करने से पहले भारत सरकार के इस आदेश की सत्यता इस विभाग की वेबसाईट (persmin.nic.in→DOPT→State Reorganization→Recent orders→Jharkhand) पर जाँच लें।

भवदीय,
हस्ता./-
(के.पि.के. नंबिशन)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-24623711

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सदस्य सचिव, राज्य परामर्शदातृ समिति, बिहार, सिंचाई आवास, बेली रोड, पटना, बिहार-800023।

2. उप सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार सरकार, पटना, बिहार-800023।

3. राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, विश्वस्वैरैया भवन, बेली रोड, पटना, बिहार-800023।

4. श्री अजय कुमार, मोटर यान निरीक्षक, परिवहन विभाग, ओम नन्दा अपार्टमेंट, फ्लैट न॰-501, राजेंद्र पथ, पटना- 800001।

भवदीय,

(के॰पि॰के॰ नंबिशन)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-24623711

28 DEC 2017
जारी किया/ISSUED